

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी 2025 — माघ 9, शक 1946

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 जनवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-7/2006/30/सं. — राज्य शासन, एतद्वारा, अर्थाभावग्रस्त कलाकारों और साहित्यकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष नियम, 1982 (विभागीय संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/30/सं./2006, दिनांक 21-03-2013 द्वारा यथा-संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :

संशोधन

उक्त नियम में, —

- नियम 3 के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता की राशि में शब्द एवं अंक “अधिकतम सीमा रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रुपये) तक हो सकेगी” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “अधिकतम सीमा रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये) एवं मृत्यु हो जाने पर रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक हो सकेगी”, प्रतिस्थापित किया जाए।
- यह संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे। शेष प्रावधान यथावत् रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.